

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

अण्डी

बनाम शक्तिपाम

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 146/2024

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

12/04/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री ~~श्रीमती~~ अण्डी

पिता श्री कालू जी जटिया वॉ. 26

निवासी- ठिकरीया

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

ठीकरीया (पण्डा शक्तिपाम) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 283

कुल कीता 01 कुल रकबा 0.8800 है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम ठिकरीया (पण्डा शक्तिपाम) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 283

कुल कीता 01 रकबा 0.8800 है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 8000 रूपये अक्षर 313 जो रजि. प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)